न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 49/2021

1. रामसिंह पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी उत्तरादाबास हाल निवासी छानीवड़ी त0 भादरा। :– वादी

ब ना म

1. मेहरचंद पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी उत्तरादाबास हाल निवासी छानीवड़ी त0 भादरा।
2. कमलेश पुत्री मेहरचंद पत्नी हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी नांदडी त0 व जिला हिसार।
3. सन्तोष पुत्री मेहरचंद पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
4. सरोज पुत्री मेहरचंद पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी भोगराना त0 नोहर।
5. सीमा पुत्री मेहरचंद पत्नी राहुल जाति जाटा निवासी पूजा कॉलोनी श्रीगंगानगर।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण प्रभूराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 345/300 के खसरा सं0 3/1 की 1.163है0 खसरा सं0 241/1 की 0.877है0 कुल 2.040है0 बारानी खातेदारी व इसी प्रकार रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 130/125 के मु0न0 33 के किला न0 18, 19 की 0.506है0 किला न0 22/1 की 0.177है0 किला न0 23/1 की 0.177है0 मु0न0 34 के किला न0 11 की 0.253है0 किला न0 12/1 की 0.126है0 किला न0 19/1 की 0.038है0 किला न0 20/1 के 0.127है0 मु0न0 41 के किला न0 5/2 की 0.064है0 कुल 1.468है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें से 1.455है0 बारानी व गै0 मु0 रास्ता 0.013है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मेहरचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से प्रतिवादी सं0 1 मेहरचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त [illegible] खर्चा बाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 49/2021

1. रामसिंह पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी उत्तरादावास हाल निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. मेहरचंद पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी उत्तरादावास हाल निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।
2. कमलेश पुत्री मेहरचंद पत्नी हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी नांदडी त0 व जिला हिसार।
3. सन्तोष पुत्री मेहरचंद पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा।
4. सरोज पुत्री मेहरचंद पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी भोगराना त0 नोहर।
5. सीमा पुत्री मेहरचंद पत्नी राहुल जाति जाटा निवासी पूजा कॉलोनी श्रीगंगानगर।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा: वादीगण
वकील श्री प्रभूराम गोदारा : प्रतिवादीगण

दिनांक : 17.03.2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 345/300 के खसरा सं0 3/1 की 1.163है0 खसरा सं0 241/1 की 0.877है0 कुल 2.040है0 बारानी खातेदारी व इसी प्रकार रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 130/125 के मु0न0 33 के किला न0 18, 19 की 0.506है0 किला न0 22/1 की 0.177है0 किला न0 23/1 की 0.177है0 मु0न0 34 के किला न0 11 की 0.253है0 किला न0 12/1 की 0.126है0 किला न0 19/1 की 0.038है0 किला न0 20/1 के 0.127है0 मु0न0 41 के किला न0 5/2 की 0.064है0 कुल 1.468है0 बारा[illegible] कृषि भूमि जिसमें से 1.455है0 बारानी व गै0 मु0 रास्ता [illegible] खातेदार प्रति[illegible] सं0 1 मेहरचंद के नाम [illegible] की खातेदारी हुआ करती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले [illegible] ने कर्ता खानदान होने के थी। हरदयाल के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 [illegible] चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखारमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1, 3 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा दावा की मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया । प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामसिंह पुत्र मेहरचंद के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भनाई प्रदर्श 1 जमाबंदी 4 जेएसएल प्रदर्श 2 जमाबंदी 5 सीएचएन प्रदर्श 3 जमाबंदी प्रमाणित रोही उत्तरादाबास प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 जमाबंदी भू प्र वि0 सं0त 2029–38 प्रदर्श 6 जमाबंदी भनाई भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 7 जमाबेदी भनाई संवत 2070–73 प्रदर्श 8 प्रमाण पत्र ग्राम उत्तरादाबास प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूनि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भनाई व चक 4 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भनाई प्रदर्श 1 जमाबंदी 4 जेएसएल प्रदर्श 2 जमाबंदी 5 सीएचएन प्रदर्श 3 जमाबंदी प्रमाणित रोही उत्तरादाबास प्रदर्श 4 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 जमाबंदी भू प्र वि0 सं0त 2029–38 प्रदर्श 6 जमाबंदी भनाई भू प्रबन्ध विभाग प्रदर्श 7 जमाबेदी भनाई संवत 2070–73 प्रदर्श 8 प्रमाण पत्र ग्राम उत्तरादाबास प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 6 व 7 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 5 में वारिस प्रमाण के अनुसार मेहरचंद के एक पुत्र रामसिंह व चार पुत्रियां कमलेश, सन्तोष, सरोज, सीमा तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 जन्म से हक हिस्सा निहित है । वाद भूमि के अलावा रोही उत्तरादाबास व रोही 5 सीएचएन में प्रतिवादी सं0 1 के नाम अन्य कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 मेहरचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है [illegible] वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार [illegible] किया जाता है। ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:59 IST
Reason: SelfAttested

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 345/300 के

Scanned with CamScanner

खसरा सं0 3/1 की 1.163है0 खसरा सं0 241/1 की 0.877है0 कुल 2.040है0 बारानी खातेदारी व इसी प्रकार रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 130/125 के मु0न0 33 के किला न0 18, 19 की 0.506है0 किला न0 22/1 की 0.177है0 किला न0 23/1 की 0.177है0 मु0न0 34 के किला न0 11 की 0.253है0 किला न0 12/1 की 0.126है0 किला न0 19/1 की 0.038है0 किला न0 20/1 के 0.127है0 मु0न0 41 के किला न0 5/2 की 0.064है0 कुल 1.468है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जिसमें से 1.455है0 बारानी व गै0 मु0 रास्ता 0.013है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 मेहरचंद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें से प्रतिवादी सं0 1 मेहरचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner